

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकांसी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद, जनपद-बिजनौर / रायबरेली, जनपद-रायबरेली /  
ककराला, जनपद-बदौयू / टुण्डला, जनपद-फिरोजाबाद / खुर्जा, जनपद-बुलन्दशहर /  
नौतनवां, महाराजगंज, जनपद-महाराजगंज / नवाबगंज, जनपद-गोण्डा।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नया सवेरा नगर विकास योजना में प्राविधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार 08 नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 4,20,00,000 /- ( ₹ चार करोड़ बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 2,10,00,000 /- ( ₹ दो करोड़ दस लाख मात्र ) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.03.13 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान, आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (5)- प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
- (6)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

- (7)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (8)– स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनापरान्त किया जायेगा।
- (9)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
- (10)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम “डिस्पले बोर्ड” पर योजना का नाम अर्थात् “नया सवेरा नगर विकास योजना” का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11)– उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिये जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।
- (12)– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13)– वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।
- (14)– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक-“6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1023-दस/14, दिनांक 24 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय



(सुधीर सिंह चौहान)


संयुक्त सचिव



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
3. कोषाधिकारी, जनपद-बिजनौर/रायबरेली/बदौयू/फिरोजाबाद/बुलन्दशहर/  
महराजगंज/गोण्डा ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. संबन्धित नगर पालिका अध्यक्ष, उ0प्र0 ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,



(श्रवण कुमार सिंह)

अनु सचिव ।



शासनादेश संख्या-आरएफ 160/9-9-14-12आरएफ/14,दिनांक. 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)

क	निकाय का नाम/ जनपद	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्राक्कलित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद जनपद-बिजनौर	1.स्ट्रीट लाईट कार्य मो० मेहन्दीबाग व मो० जाब्लागंज नजीबाबाद 2.इण्टरलाकिंग रोड व नाली निकट सैफी स्कूल से मेन रोड तक 3.इण्टरलाकिंग रोड व नाली निकट हाशिम अली से कल्लन पठानपुरा 4.इण्टरलाकिंग रोड व नाली निकट कब्रिस्तान से शोषण तक पाईबाग 5.इण्टरलाकिंग रोड व नाली सुल्तान मिस्त्री से टेलर की दुकान तक	25.93 02.74 02.60 02.55 01.69		
		योग	35.51	35.00	17.50
2	नगर पालिका परिषद,रायबरेली	1.वार्ड नं०-20 के अन्तर्गत न्यू राना नगर में के०सी०पाण्डेय के भवन से जयकरन अवस्थी तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य 2 वार्ड नं०-9 के अन्तर्गत सम्राट नगर में यादव निवास से सम्राट नगर डामर रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य 3. वार्ड नं०-22 के अन्तर्गत इन्दिरा नगर में बी-202 से बी-74 व ए०के० श्रीवास्तव के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य 4.वार्ड नं०-23 मोहल्ला तेलियाकोट में इशितयाक के घर से बंशीलाल व मूलचन्द्र व टयबवेल तक नाली निर्माण व इण्टरलाकिंग का कार्य 5.वार्ड नं०-9 के अन्तर्गत मोहल्ला गौरा बाजार में मो० शब्बीर के मकान से भगवानदास के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य. 6.वार्ड नं०-2 के अन्तर्गत तालाब पुलिया से टयूबवेल के सामने तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। 7.वार्ड नं०-9 के अन्तर्गत बैहराना टयूबवेल के चारों तरफ इण्टरलाकिंग का कार्य। 8.वार्ड नं०-9 के अन्तर्गत मो०सम्राट नगर में फारूखी के मकान के सामने नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। 9.वार्ड नं०-10 के अन्तर्गत मो०मलिकमऊ में ई-21 से ई-30 व ई-1 से आर०के०शुक्ता के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	09.60 09.99 08.74 09.09 07.96 09.22 09.03 09.98 07.94		
		योग	81.55	75.00	37.50
3	नगर पालिका परिषद,ककराला,	1.नई मस्जिद से शहजादे हाजी महताब से धर्मकाटों की ओर इण्टरलाकिंग सड़क	24.76		

	जनपद बदायूं	निर्माण। 2.इशत्याक अली के मकान से फिरोज मेम्बर की दुकान से कब्रिस्तान तक वार्ड नं0-9/21 इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण।	20.29		
		योग	45.05	45.00	22.50
4	नगर पालिका परिषद, टुण्डला, फिरोजाबाद	1.वार्ड नं0-8 अलावलपुर रोड पर नाली निर्माण एवं हाट-मिक्स प्लान्ट से सड़क निर्माण कार्य 2.वार्ड नं0-6 एन0एच0-2 रोड से टूण्डला रोड पर जमुना बिहार कालोनी से शमशान रोड व मन्दिर तक सड़क निर्माण	27.43 33.16		
		योग	60.59	60.00	30.00
5	नगर पालिका परिषद, खुर्जा, बुलन्दशहर	1.मौ0 नवलपुरा सब्जी मण्डी में श्री हरी शंकर की दुकान से श्री जगत प्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य 2.मण्डी दान गंज में श्री रमेश चन्द्र फल वालों की दुकान से श्री मदनलाल की दुकान एवं श्री देवेन्द्र आर्य की दुकान से श्री शैलेन्द्र गुप्ता की दुकान तक सड़क इण्टरलाकिंग 3.मण्डी दानगंज में श्री राम किशन बंसल किराना स्टोर से श्री अरविन्द कुमार वंसल की दुकान एवं श्री अरविन्द बंसल की दुकान से श्री महेश घी वालों की कोठी तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण 4.श्री मो0 शाविद की दुकान से श्री घनश्याम दास की दुकान तक मण्डी दान गंज में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण	13.72 27.92 09.82 10.38		
		योग	61.84	60.00	30.00
6	नगर पालिका परिषद, नौतनवां जनपद-महराजगंज	1.वार्ड नं0-12 मु0सिद्धार्थनगर में शवदाह घाट पर सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य 2.वार्ड नं0-12 मु0 सिद्धार्थनगर में छपवाँ बाईपास के पास शहीद पार्क का निर्माण कार्य	32.74 34.45		
		योग	67.19	65.00	32.50
7	नगर पालिका परिषद, महराजगंज जनपद महराजगंज	1.वार्ड नं0-1 नेहरू नगर में श्री मन्ना प्रजापति के घर से नहर पुलिया तक पेवर इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। 2.वार्ड नं0-8 राजीव नगर में श्री बजरंगी के घर से अभिराम राव के घर तक पेवर इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	14.76 10.55		
		योग	25.31	25.00	12.50
8	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, गोण्डा	1.मो0 मुठ्ठीगंज, चाईटोला, कहरान, पोख्तादरवाजा, संचरही व पड़ाव में विभिन्न स्थानों पर इण्टरलाकिंग पुन निर्माण/नव निर्माण कार्य। 2.मो0 मुठ्ठीगंज, चाईटोला, कहरान, पोख्तादरवाजा, संचरही व पड़ाव में विभिन्न स्थानों पर इण्टर लाकिंग पुन निर्माण/नव निर्माण कार्य।	28.43 29.28		
		योग	57.71	55.00	27.50
		महायोग		420.00	210.00

(रूपये दो करोड़ दस लाख मात्र)

(सुधीर सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव  
नगर विकास विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।